संख्या - 81/2015/1182/छप्पन-2015-20/2008

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2015

विषय : राजकीय हवाई पट्टी, पलिया, खीरी की रि-सरफेसिंग, विस्तार तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 416/ए0एस0-68जी-85/2015, दिनांक 24.7.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी, पलिया, खीरी की रि-सरफेसिंग, विस्तार तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या- 1622/छप्पन-2014-20/08, दिनांक 13.2.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि से कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा गठित आगणन रूपये 8,29,65,000/- के सापेक्ष रूपये 7,47,54,000/- (रूपये सात करोड़ सैंतालिस लाख चौवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 3,70,00,000/- (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई है।

2- उक्त स्वीकृति के पश्चात निदेशक एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त राजकीय हवाई पट्टी, पलिया, खीरी की लम्बाई 1400 मीटर से बढ़ाकर 1520 मीटर किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा रूपये 8,24,00,000/- का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रूपये 7,93,06,000/- आंकलित की गयी है। प्रायोजना के लिए उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 13.2.2015 द्वारा रूपये 7,47,54,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 3,70,00,000/- की धनराशि कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 को अवमुक्त की जा चुकी है। तदनुसार पुनरीक्षित आगणन रूपये 8,24,00,000/- के सापेक्ष रूपये 7,93,06,000/- की आंकलित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के पश्चात पूर्व में दी गई स्वीकृति रूपये 7,47,54,000/- की धनराशि को समायोजित करते हुए प्रायोजना की बढ़ रही लागत की धनराशि रूपये 45,52,000/- की स्वीकृति द्वितीय किश्त जारी करते समय कार्यदायी

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्था को अवमुक्त कर दी जायेगी। अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित एक मुश्त धनराशि से कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन रूपये 8,24,00,000/- के सापेक्ष आंकलित रूपये 7,93,06,000/- (रूपये सात करोड़ छियानबे लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या- 1622/छप्पन-15-20/08, दिनांक 13.2.2015 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रूपये 3,70,00,000/- (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र) का समायोजन करते हुए नियमानुसार द्वितीय किश्त का प्रस्ताव प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या- 1622/छप्पन-2014-20/08, दिनांक 13.2.2015 में इंगित शर्तें/ प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-887(A)/दस-2015, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 81/2015/1182(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/पलिया खीरी।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in